

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक फा2(1)सविरा/निशा/ब-2/2012


दिनांक : 31/5/12

आदेश

टॉक केन्द्रीय सहकारी बैंक की वसूली की स्थिति सुधारने के लिए एक विशेष कार्य योजना के तहत निम्नांकित निरीक्षकों (कार्यकारी) को टॉक केन्द्रीय सहकारी बैंक की बकाया ऋण की वसूली करने के लिए दिनांक 01.06.2012 से तीन माह तक विशेष सघन वसूली अभियान हेतु लगाया जाता है ।


क्रमांक	नाम निरीक्षक सर्वश्री	वर्तमान कार्यालय
1.	मदन लाल शर्मा	संयुक्त रजिस्ट्रार, अजमेर
2.	नन्द किशोर शर्मा	उप रजिस्ट्रार, अजमेर
3.	सुनील वीरभान	उप रजिस्ट्रार, भीलवाडा
4.	दिनेश कुमार सोनी	उप रजिस्ट्रार, अजमेर
5.	धर्मेन्द्र कुमार जांगिड	सहायक रजिस्ट्रार, दौसा
6.	ओम प्रकाश चौधरी	सहायक रजिस्ट्रार, टोंक
7.	सुरेश कुमार शर्मा	सहायक रजिस्ट्रार, टोंक
8.	जागीराम वर्मा	उप रजिस्ट्रार, नागौर
9.	यशवर्धन सोठवाल	उप रजिस्ट्रार, जयपुर (शहर)
10.	अमिताभ दिवाकर	सहायक रजिस्ट्रार, जयपुर (ग्रामीण)
11.	रामेश्वर प्रसाद मीणा	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, सवाईमाधोपुर
12.	बाबूलाल भाकल	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, नागौर
13.	दिनेश चन्द्र गोयल	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, अलवर
14.	रविन्द्र कुमार गोयल	उप रजिस्ट्रार, सवाईमाधोपुर
15.	कैलाश चन्द्र गुर्जर	उप रजिस्ट्रार, सवाईमाधोपुर
16.	कैलाश चन्द्र गुप्ता	सहायक रजिस्ट्रार, खैरथल
17.	धर्मवीर यादव	सहायक रजिस्ट्रार, खैरथल

उपरोक्त समस्त निरीक्षकगण अपनी उपस्थिति रिपोर्ट दिनांक 01.06.2012 को प्रातः 10.00 बजे प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, टोंक को प्रस्तुत करेंगे । प्रबन्ध निदेशक, सीसीबी, टोंक उपरोक्त निरीक्षकों को आवश्यकतानुसार वसूली हेतु टोंक केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखाओं में वसूली कार्य आवंटित करेंगे । इन निरीक्षकों द्वारा प्रत्येक सप्ताह में मांग के विरुद्ध की गई वसूली की विस्तृत साप्ताहिक रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत की जावेगी । उपरोक्त निरीक्षकों को उक्त कार्य हेतु टीए/डीए राज्य सरकार द्वारा देय होगा । उक्त आदेश की कडाई से पालना सुनिश्चित की जावे अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।


{ निरंजन आर्य }
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपी -

- 1 निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री, राज. जयपुर
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सहकारिता विभाग, राज. जयपुर
- 3 निजी सचिव, रजिस्ट्रार महोदय, प्रधान कार्यालय, जयपुर
- 4 मुख्य अंकेक्षक, प्रधान कार्यालय, जयपुर
- 5 अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम/द्वितीय), प्रधान कार्यालय, जयपुर
- 6 संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, अजमेर
- 7 प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि, टोंक
- 8 सम्बन्धित कार्यालय
- 9 श्री द्वारा
- 10 रक्षित पत्रावली


(संजय माथुर)
उप रजिस्ट्रार (प्रशासन)